न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण संख्या :– 135/2018

बउनवान

भैया पुत्र अब्दुल रशीद जाति मुसलमान निवासी खांखरा तहसील छबडा जिला बारॉ

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री मदनलाल गालव अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 11.3.2019

अपीलांट ने यह अपील जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 26/2018 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 28.9.2018 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बारई की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2075 में खसरा नम्बर 794 की रकबा 6 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 300/–रूपये तावान राशि के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 29.10.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब कर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र हल्का पटवारी की मिथ्या रिपोर्ट पर विश्वास कर बिना स्वतंत्र गवाहान के बयान लिये तथा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना निर्णय पारित कर सजायाब किये जाने मे भारी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने नियत दिनांक 28.9.2018 पर अपीलांट के उपस्थित होकर नोटिस का खण्डन करने एवं उसका आराजी पर कब्जा व फसल नही होने का लिखित मे जवाब दिया था तथा कथन किया था कि अपीलांट

का 6 बीघा आराजी पर कभी कब्जा नही रहा एवं अपीलांट अपने खाते की आराजी पर अपने पूर्वजो के समय से काश्त कते आ रह है, जिस पर वह काबिज था तथा तहसीलदार छबडा द्वारा मौके पर जाकर अपीलांट की करीबन एक बीघा फसल को चारागाह की बताकर हांकने का कहा था, जिसे अपीलांट ने उसी समय जानवरो को खिलाकर फसल को नष्ट कर दिया था एवं कब्जा छोड दिया था, उसके बाद भी अपीलांट को अतिक्रमी, दोषी मानकर सजायाब करने मे भारी भूल की है।

यह कि दिनांक 29.9.2018 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उसका जवाब लेकर घर भेज दिया गया था। इसके बावजूद अपीलांअ के जवाब को पत्रावली मे शामिल नही किया तथा उसकी अनुपस्थिति दर्ज कर गलत निर्णय पारित किया गया है एवं अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर ऐसी कोई दस्तावेती साक्ष्य रिकार्ड पर नही है, जिससे उसका पश्चातवर्ती अतिक्रमी होना प्रमाणित हा तथा पूर्व मे उक्त आराजी से भौतिक रूप से बेदखल किया गया हो तथा साईक्लोस्टाईल प्रोफार्मा मे रिक्त स्थानो को पूर्तिकर निर्णय लिखा गया है जो निरस्तनीय है। अपीलांट को उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 12.10.2018 को पुलिस के द्वारा बताने व गिरफ्तार करने पर हुयी, उसी दिन अपीलांट द्वारा आरोपित जुर्माना व शास्ती 14,513/– रूपया जमा करवाये गये तथा अपील हेतु मोहलत देकर जमानत पर छोडा गया है। अपील पेश कर निवेदन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.9.2018 को निरस्त किया जाकर अपीलांट को दोष मुक्त घोषित किया जावे।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय मे बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा गतवर्ष सम्वत् 2074 मे भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको पटवारी हल्का द्वारा बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2075 मे किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। पत्रावली मे अतिक्रमित रकबा कम है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांट की सजा माफ की जा सकती है।

हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांट को नोटिस की तामील करवाई गयी है। अपीलांट वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा मे अनुपस्थित रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है ओर अपीलार्थी को पटवारी के बयानो मे जिरह का अवसर नही दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नही लिये गये है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय की तकनिकी त्रुटी होना पाया जाता है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 26/2018 मे पारित आदेश

दिनांक 28.9.2018 मे बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि तहसीलदार छबडा 7 दिवस मे जॉच करे कि अपीलांट का यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बारई तहसील छबडा के खसरा नम्बर 794 की रकबा 6 बीघा भूमि किस्म चारागाह पर वर्तमान मे कब्जा है, तो उक्त भूमि से कब्जा छोड दे, तो तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 26/2018 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 28.9.2018 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.9.2018 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 11.3.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां